<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांकः— 74ए / 16</u> संस्थापन दिनांकः—28 / 09 / 2016 फाईलिंग नं. 400365 / 2016

- कचराबाई पित बंशीलाल, उम्र 50 वर्ष निवासी उमिरया, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. वंदना पिता बंशीलाल, उम्र 32 वर्ष निवासी भिलाई, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. भोलाराम पिता बंशीलाल, उम्र 30 वर्ष
- 4. शंकर पिता बंशीलाला, उम्र 27 वर्ष
- शिवपाल पिता बंशीलाल, उम्र 22 वर्ष
 क. 03 से 05 निवासी उमिरया तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादीगण</u>

वि रू द्व

- बंशीलाल पिता टंटी,
 उम्र 55 वर्ष, निवासी दीपामाण्डई,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

<u>-: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 14.07.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत अंतरिम आवेदन कमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क. 01 एक ही परिवार के हैं। वादी कचराबाई प्रतिवादी क. 01 की पत्नी है और शेष वादीगण उनकी संतान है। वादी कचराबाई का प्रतिवादी क. 01 से हिंदू रीति रिवाज अनुसार वर्ष 1982 में विवाह हुआ था। वर्ष 2005 तक वादीगण एवं प्रतिवादी ग्राम दीपामाण्डई में निवासी करते थे तथा वादी कचराबाई अपने मायके

उमिरया आना जाना करती थी। ग्राम दीपामाण्डई तहसील बोरदेही में प्रतिवादी क. 01 के नाम से विवादित भूमि ख.नं. 92/1, ख.नं. 127/1, ख.नं. 253, ख.नं. 320 रकबा कमशः 0.389, 0.308, 0.356, 0.109 कुल रकबा 1.162 हे. है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी क. 01 का कब्जा था। वर्ष 2016 में प्रतिवादी वादीगण से झगड़ा करके दीपामाण्डई चला गया और वहीं पर निवास करने लगा। जब वादी दीपामाण्डई गयी थी तब उसे यह पता चला कि प्रतिवादी क. 01 ने एक अन्य महिला के साथ गंदर्भ विवाह कर लिया है और वादीगण को वहां से भगा दिया जिसकी वादीगण ने रिपोर्ट भी लिखायी थी। चूंकि विवादित भूमि पर वादीगण का भी 1/5 हक हिस्सा है। प्रतिवादी उपर्युक्त विवादित भूमियों को हेराफेरी कर देगा इसलिए आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क. 01 को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप से एवं विवादित भूमियों के आंवरण से निषेधित किया जाये।

- 3 प्रकरण में प्रतिवादी क. 01 तामिल उपरांत न्यायालय में उपस्थित हुआ परंतु तत्पश्चात प्रक्रम पर उसकी अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- 4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—
 - 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
 - 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

5 वादी द्वारा अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि विवादित भूमियां प्रतिवादी क. 01 बंशीलाल की है और वह उसकी पत्नी है तथा वादी क. 02 से 05 उनकी संतानें है। अतः विवादित भूमियों पर उनका 1/5 अंश बनता है। वादी के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2015—16 प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से विवादित भूमियां प्रतिवादी क. 01 बंशीलाल पिता टंटी के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है।

6 प्रथम दृष्टया दस्तावेजों के अवलोकन से विवादित भूमियां प्रतिवादी क. 01 बंशीलाल की स्वअर्जित संपत्ति होना प्रकट हो रही है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी क. 01 के कमशः पत्नी एवं संतान होने के नाते विवादित भूमि पर 1/5 अंश होना बताते हुए घोषणा, निषेधाज्ञा एवं बंटवारा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है परंतु प्रथम दृष्टया विवादित भूमियां प्रतिवादी क. 01 की स्वअर्जित प्रकट होने से एवं प्रतिवादी क. 01 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

7 चूंकि वाद प्रश्न क. 01 के निष्कर्षानुसार प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं पाया गया है। प्रथम दृष्टया प्रतिवादी क. 01 विवादित भूमियों का स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी प्रकट हो रहा है। अतः उसे अपने संपत्ति के व्ययन से किसी भी प्रकार से निषेधित किया जाना वादीगण की तुलना में प्रतिवादी क. 01 के लिए असुविधापूर्ण एवं क्षतिकारक होगा। अतः सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत भी वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन क. 01 आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

8 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल